न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—30 सन् 2015

योगेन्द्र सिंह ....वादी

बनाम

राजपति देवी व अन्य ....प्रतिवादीगण

दिनांक— 27.04.2022

वादी एवं प्रतिवादी सं0 18 की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 01 नियम 10(1) वो धारा 151 सी0पी0सी0, के अंतगत दाखिल आवेदन दिनांक 12.08.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी ने यह वाद तकरारी एराजी सिडियुल नं0 01 वा 02 में अपना हिस्सा का 1/4 भाग का तख्ता अलग कायम करने वो अन्य परितोष हेतु दाखिल किया है। वाद की कार्रवाई के दरम्यान श्री शशि तिवारी वल्द राजेश्वर तिवारी साकिन—अमनौर सुलतान, थाना—अमनौर, जिला सारण। हाल पता—लोहछा थाना—डेरनी जिला—सारण को श्रीमती शीला देवी जौजे—पारसनाथ राय ग्राम—लोहछा थाना—डेरनी जिला—सारण को दिनांक 31.08.2019/02.09.2019 को तकरारी भूमि मौजा—लोहछा, थाना—डेरनी, जिला—सारण की खाता सं0 311 खेसरा सं0 786 का रकबा 5 कठा भूमि वो खाता सं0 26 खेसरा सं0 303 का रकबा 5 कठा 16 धूर भूमि बजरिये निबंधित बैनामा बिकी कर दिया है। श्रीमती राजपति देवी जौजे—राजेश्वर तिवारी ने विन्त स्वामिनी सिंह सौहरी निवास—अमनौर थाना—अमनौर, नैहरी निवास—ग्राम लोहछा, थाना—डेरनी जिला सारण में दिनांक 12.02.2018 को श्री सचिन्द्र राय वल्द रामवचन

राय ग्राम–तकिया थाना–भेल्दी, जिला–सारण को मौजा–लोहछा, थाना–डेरनी जिला सारण के खाता सं0 211 खेसरा सं0 786 के रकबा 7 कठा भूमि बैनामा द्वारा बिक्री किया है। राजपति देवी जौजे–राजेश्वर तिवारी ने दिनांक 30.04.2021 को मौजा–लोहछा थाना डेरनी जिला–सारण स्थित खाता सं0 211 खेसरा सं0 214 का रकबा 5 कठा भूमि वो खेसरा सं0 786 का रकबा 7 कठा 10 धूर भूमि वो खसेरा सं0 786 का रकबा 3 कठा भूमि दिनांक 30.04.2021 को रीता देवी जौजे–श्री अवधेश कुमार बैनामा द्वारा बिक्री कर दिया है। शशि तिवारी पिता–स्व0 राजेश्वर तिवारी ने दिनांक 23.12.2020 को मौजा–लोहछा, थाना–डेरनी, अंचल दरियापुर, जिला सारण स्थित खाता सं0 136 खेसरा सं0 67 रकबा 16 धूर, खाता सं0 175 खेसरा सं0 64 का रकबा 3 धूर वो खाता सं0 175 खेसरा सं0 64 का रकबा 3 धूर 10 धूरकी वो खाता सं0 50 खेसरा सं0 129 का रकबा 1 कठा 19 धूर भूमि श्रीमती आशा देवी पति–कृष्ण कुमार शर्मा को बैनामा द्वारा बिक्री कर दिया है। राजपति देवी जौजे–राजेश्वर तिवारी ने दिनांक 13.08.2018 को मौजा–लोहछा, थाना–डेरनी, अंचल–दरियापुर, जिला–सारण स्थित खाता सं0 211 खेसरा सं0 214 का रकबा 2 कठा 10 धूर भूमि वो खाता सं0 211 खेसरा सं0 786 का रकबा 1 कठा 5 धूर भूमि बजरिये बैनामा से मु0 बसंती देवी जौजे–राजेन्द्र शर्मा को बिक्री कर दिया है। श्रीमती राजपति देवी जौजे– राजेश्वर प्रसाद तिवारी ने दिनांक 13.08.2018 को मौजा–लोहछा, थाना–डेरनी जिला सारण को खाता सं0 211 खेसरा सं0 214 रकबा 2 कठा 14 धूर भूमि खाता सं0 211 खेसरा सं0 786 का रकबा 1 कठा 5 धूर भूमि श्रीमती ध्रुवपति देवी जौजे–नागेन्द्र सिंह को बैनामा के द्वारा बिक्री कर दिया है। श्रीमती राजपति देवी जौजे–राजेश्वर तिवारी दिनांक 13.08.2018 को मौजा–लोहछा, थाना–डेरनी जिला सारण खाता सं0 211 खेसरा सं0 786 रकबा 3 कठा भूमि श्रीमती सीता देवी

जौजे–कृष्णा ठाकुर को बैनामा द्वारा बिकी कर दिया है। राजपति देवी जौजे–राजेश्वर तिवारी दिनांक 18.08.2017 को मौजा–लोहछा, थाना–डेरनी जिला सारण स्थित खाता सं0 211 खेसरा सं0 214 का रकबा 10 कठा भूमि श्री तारकेश्वर शर्मा वो श्री मेघनाथ शर्मा दोनों बल्दान श्री जलेश्वर सिंह को बैनामा द्वारा बिकी कर दिया है। राजपति देवी जौजे–राजेश्वर तिवारी दिनांक 13.02.2019 मौजा–लोहछा, थाना–डेरनी जिला सारण खाता सं0 154 खेसरा सं0 116 रकबा 1 कठा 4 धूर, खेसरा सं0 118 रकबा 1 कठा 12 धूर 10 धूरकी जय कुमार शर्मा वल्द राम अनूप शर्मा को बेच दिया हैं। उक्त बैनामा की जानकारी पूर्व में वादी को नहीं थी। उक्त बैनामा की जानकारी होने के बाद वादी ने सभी बैनामा का नकल निबंधन कार्यालय से प्राप्त किया तब वादो को फर्जीवारा की जानकारी हुई। उक्त सभी बैनामा मुकदमे की कार्रवाई के दरम्यान अमल में लाया गया है। न्यायहित में बिकेता एवं केता को इस वाद में पक्षकार बनाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि पतिवादी के खाने में आवेदन में लिखित केता और बिकेता का नाम दर्ज कर दिया जाए।

उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी सं0 18 की ओर से दिनांक 08.12.2021 को दाखिल किया गया है जिसमें उनका कथन है कि वादी का आवेदन बहुत विलंब से दाखिल किया गया हैं। वादी का आवेदन कानूनन विचारणीय नहीं है। वादी के आवेदन के अनुसार पक्षकार बनाने से वाद में विचारण में काफी विलंब होगा जिससे प्रतिवादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि वादी का आवेदन दिनांक 12.08.2021 को खारिज किया जाए

उभय पक्षों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत

किया जा रहा है। उसी दरम्यान वादी के द्वारा यह आवेदन दाखिल किया गया है। वादी आवेदन में माध्यम से आवेदन में लिखित तकरारी एराजी को बैनामा कर दिए जाने के कारण केता और बिकेता को पक्षकार बनाना चाहते हैं। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 12.08.2021 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक 22.06.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।